प्रेषक,

सचिव,
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद,
इलाहाबाद।

सेवा में,

1— प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
उत्तर प्रदेश।

2— समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

3— समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक बे0शि0प0 / 15012-183 /2013—14 दिनांक 13-1-14

विषय :— परिषदीय विद्यालयों में अध्यापन हेतु समय सारिणी निर्माण एवं उसके अनुसार अध्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या— 3014/79—5—2013 दिनांक 06.08.2013 तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में समय सारिणी के सम्बन्ध में उल्लिखित प्राविधान के क्रम में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित समस्त परिषदीय विद्यालयों में निम्नवत व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये है—

1— समस्त परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा 1—5 के शिक्षण हेतु न्यूनतम 200 कार्यदिवस एवं कक्षा 6—8 के शिक्षण हेतु न्यूनतम 220 कार्यदिवस प्रति शैक्षिक सत्र निर्धारित किये गये हैं।

2— समय सारिणी का निर्माण करते समय प्रत्येक शैक्षिक सत्र में कक्षा 1—5 हेतु 800 शैक्षिक घंटे एवं कक्षा 6—8 हेतु 1000 शैक्षिक घंटे का निर्धारण आवश्यक है।

अतएव आर0टी0ई0 2009 के परिप्रेक्ष्य में विद्यालय स्तर पर समय सारिणी तैयार कर शिक्षण कार्य कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये जिससे समस्त छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य की सम्प्राप्ति सम्भव हो सके।

भवदीय

(संजय सिन्हा)
सचिव,
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद,
इलाहाबाद।

पृ0सं0/बे0शि0प0/ 15012-183 /2013—14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— निदेशक राज्य परियोजना कार्यालय उ0प्र0 लखनऊ के संज्ञानार्थ प्रेषित।

2— शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 निशातगंज लखनऊ को सूचनार्थ।

3— निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ।

(संजय सिन्हा)
सचिव,
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद,
इलाहाबाद।

टिप्पणी

1– प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 में पढ़ाई के घंटे निम्नवत निर्धारित है :–

कक्षाएं	ग्रीष्म ऋतु – 1 अप्रैल से 30 सितम्बर तक	1 अक्टूबर से 31 मार्च तक (जाड़े) के दिनों में
1 से 5 एवं 6 से 8 तक	7 बजे से 12 बजे तक मध्यावकाश/एम0डी0एम0 (9.30 से 10.00 तक)	10 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक मध्यावकाश एम0डी0एम0 (1 बजे से 1.30 तक)

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं 01 अप्रैल से 30 सितम्बर तक 7.00 बजे से 12.00 बजे तक तथा मध्यावकाश 9.30 से प्रारम्भ होकर 10.00 बजे समाप्त होगा। एवं 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 10.00बजे 4.00 बजे तक एवं मध्यावकाश 1.00 बजे से 1.30 समाप्त होगा।

2– उपर्युक्त अवकाश के अतिरिक्त दो दिन का अवकाश स्थानीय रूप से जिलाधिकारी द्वारा अनुमन्य किया जायेगा। किसी भी दशा में स्थानीय मेलों आदि हेतु अलग से अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। जिलाधिकारी के अतिरिक्त कोई भी अधिकारी /स्थानीय अधिकारी अवकाश स्वीकृत करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे। यह अवकाश दो दिन से अधिक किसी स्थिति में नहीं बढ़ाया जायेगा।

3– उपर्युक्त वर्णित अवकाश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ही अनुमन्य होंगे।

4– मुस्लिम त्यौहार चन्द्र दर्शन के अनुसार 1 दिन आगे व पीछे हो सकते है।

5– हरि तालिका तीज ,करवा चौथ, संकठा चतुर्थी का अवकाश केवल अध्यापिकाओं/बालिकाओं के लिये होगा।

6– ग्रीष्मावकाश 1 जून से प्रारम्भ होकर 30 जून तक होगा।

7– शीतावकाश 20 दिसम्बर से 10 जनवरी तक होगा।

8– समस्त राष्ट्रीय,पर्वो जैसे गणतंत्र दिवस स्वतन्त्रता दिवस, गांधी जयन्ती को शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा. शिक्षक एवं छात्र विद्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रतिभाग करेंगे।

9–प्रायः जनपदों से यह शिकायतें प्राप्त हो रही है कि मण्डलीय/जनपदीय रैलियों/समारोह के नाम विद्यालय बन्द कर दिया जाता है , जो कि अनियमित है। ऐसी दशा में सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

कतिपय जनपदों मे विशेष कार्यक्रमों के कारण विद्यालयों में समय परिवर्तन करने की शिकायतें प्राप्त हो रही है। विद्यालय में पूरे समय पढ़ाई हो इसके लिये यह आवश्यक है कि विद्यालयों में समय सारिणी का निश्चित रूप से पालन किया जाय।

विद्यालय समय सारिणी के अनुसार संचालित किये जाय। अपरिहार्य परिस्थितियों में जिलाधिकारी द्वारा घोषित अवकाश वैध होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी अधिकारी को विद्यालय के समय परिवर्तन अथवा अवकाश घोषित करने का अधिकार नही होगा।

उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय यदि किसी जनपद से उक्त शिकायतें प्राप्त होती है। तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(संजय सिन्हा)
सचिव,
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद
इलाहाबाद।